

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला— जयपुर, थाना— प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष—2022
प्र0सू0रि0 सं. 64/22 दिनांक 28-2-2022
2. (I) अधिनियम:—धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा.दं.सं.
(II) अधिनियम धारायें
(III) अधिनियम धारायें
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0.....
3. रोजनामचा आम रपट संख्या 605 समय 6.45 PM.
(ब) अपराध घटने का दिन—रविवार दिनांक 27.02.2022 समय 11.15 एएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक
4. सूचना की किस्म :— लिखित / मौखिक— सूत्र सूचना
5. घटनास्थल:— मकान नम्बर 11, सेक्टर 12, मुर्शीद नगर, सवीना पुलिस थाना सवीना जिला उदयपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:— —
(ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थानाजिला
6. (प)परिवादी / सूचनाकर्ता :—
(अ) नाम— सरकार जरिये श्री रघुवीर शरण शर्मा
(ब) पिता/पति का नाम—
(स) जन्म तिथी—
(द) राष्ट्रीयता — भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्याजारी होने की तिथि
जारी होने की जगह
(र) व्यवसाय—पुलिस निरीक्षक, विअनुई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर ।
(ल) पता—
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : —
 - 1— श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी पुत्र श्री अब्दुल हकीम अंसारी जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी मकान नम्बर 11, सेक्टर 12, मुर्शीद नगर, सवीना पुलिस थाना सवीना जिला उदयपुर हाल उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी)
 - 2— श्री दिनेश कुमार टेलर पुत्र श्री राधेश्याम टेलर जाति टेलर उम्र 52 साल निवासी मकान नम्बर 119ए, सी—क्लास प्रताप नगर, उदयपुर हाल वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (उपायुक्त जीएसटी)
 - 3— श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री मदनलाल अग्रवाल जाति अग्रवाल उम्र 58 साल निवासी बी—14, कमला विहार, पुलिस थाना प्रतापनगर, भीलवाडा हाल संचालक मदन लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट नगर भीलवाडा
 - 4— श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सोहनलाल जाति महाजन उम्र 55 साल निवासी प्लॉट नम्बर 3ए—7, आरसी व्यास कॉलोनी, पुलिस थाना सुभाष नगर जिला भीलवाडा
 - 5—श्री नीलेश अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश अग्रवाल जाति अग्रवाल उम्र 27 साल निवासी मकान नम्बर 32/197, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के पास, पानेरियों की मांदड़ी, सेक्टर —06, पुलिस थाना हिरणमगरी, उदयपुर।
 - 6— वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थापित अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण एवं अन्य।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :—.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)....
10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य—4,00,000 /— रुपये
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षितहो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):—

दिनांक 25-02-2022 को मन रघुवीर शरण शर्मा, निरीक्षक पुलिस, विअनुई, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर को श्रीमान् अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर एवं श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक, विअनुई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर के निर्देशानुसार सूत्र सूचना पर श्री राजेश दुरेजा पुलिस उप अधीक्षक तकनीकी शाखा जयपुर से समन्वय कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश मिले। इस सम्बन्ध में श्री राजेश दुरेजा, पुलिस उप अधीक्षक, तकनीकी शाखा, जयपुर की सूत्र सूचना दिनांक 25.02.2022 मय श्रीमान् अति0 महानिदेशक महोदय एवं श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक के पृष्ठांकित आदेश से इस आशय की प्राप्त हुई कि भीलवाडा में पदस्थापित वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा व्यवसायियों के माध्यम से उन्हें वाणिज्यिक कर में अनुचित लाभ पहुंचाया जाकर रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है। वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा श्री राजमल अग्रवाल उर्फ राजू अग्रवाल, संचालक, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, भीलवाडा तथा श्री लक्ष्मण अग्रवाल, अग्रवाल इलैक्ट्रोविजन, भीलवाडा के माध्यम से भीलवाडा के व्यवसायियों एवं ट्रांसपोर्ट्स को वाणिज्यिक कर में फायदा पहुंचाने के लिये मिलीभगत कर, अवैध संरक्षण प्रदान करते हुए नियमित रूप से मासिक बन्धी के रूप में रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है। उक्त सूचना का गोपनीय सत्यापन किया गया, जिसकी तकनीकी विश्लेषण से पुष्टि होने पर संबंधित संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाईल नम्बर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरान्त अन्तावरोध पर लिये गये तथा गोपनीय रूप से सत्यापन भी किया गया तो सूत्र सूचना के तथ्यों की पुष्टि हुई। इसी क्रम में अन्तावरोध वार्ताओं के दौरान प्रकट हुआ कि वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा में पदस्थापित अधिकारीगण द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों तथा अन्य कर चोरी के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के आशय से वाणिज्यिक कर चोरी के अवैध कृत्य को संरक्षण प्रदान करने के लिये संदिग्ध व्यक्ति श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल तथा श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल से अवैध रूप से मिलीभगत कर उनके मार्फत मासिक बन्धी के रूप में नियमित तौर पर रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है। ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों तथा अन्य कर चोरी के लाभार्थियों से रिश्वत राशि संदिग्ध व्यक्ति श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल तथा श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल द्वारा एकत्रित की जाकर वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा में पदस्थापित अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में संदिग्ध व्यक्ति श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों तथा अन्य कर चोरी के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के आशय से वाणिज्यिक कर चोरी के अवैध कृत्य को संरक्षण प्रदान कराने की एवज में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों तथा अन्य कर चोरी के लाभार्थियों से एकत्रित की गई रिश्वत राशि अपने भतीजे श्री नीलेश अग्रवाल के मार्फत संदिग्ध लोकसेवक मो0 हुसैन अंसारी, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग हाल अति0 आयुक्त जीएसटी के निवास स्थान पर उनको सुपुर्द करने की सम्भावना है। उक्त एकत्रित रिश्वत राशि संदिग्ध श्री नीलेश अग्रवाल उर्फ गोन्ू द्वारा संदिग्ध लोकसेवक मो0 हुसैन अंसारी, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग हाल अति0 आयुक्त जीएसटी को उनके निवास स्थान पर दी जावेगी।

उक्त सूचना के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् निरीक्षक पुलिस मय ब्यूरो स्टॉफ सर्वश्री शिवसिंह उप निरीक्षक पुलिस, श्री सुभाष कानि0 465, श्री मनीष सिंह कानि0 486, श्रीमती संतोष महिला कानि0 226 एवं स्वतंत्र गवाह श्री मोहन कुमार एवं राजेन्द्र प्रसाद माचरा के दिनांक 26.02.2022 को ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर उदयपुर पर पहुंचा। उक्त सूत्र सूचना के क्रम में संदिग्ध व्यक्ति/लोकसेवकों की गोपनीय निगरानी में पूर्व से मामूरशुदा श्री केशर सिंह हैड कानि. नं. 38, श्री लक्ष्मण नारायण शर्मा हैडकानि0 15, तकनीकी शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर से निरन्तर सम्पर्क में रहा तथा उदयपुर पहुंचकर तकनीकी शाखा के उक्त कार्मिकों से अब तक की कार्यवाही के सम्बन्ध में जानकारी की गई तो श्री केशर सिंह, हैडकानि0 ने अवगत कराया अन्तावरोध वार्ताओं से प्रकट हुआ है कि श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों तथा अन्य कर चोरी के लाभार्थियों एकत्रित रिश्वत राशि अपने भतीजे श्री नीलेश अग्रवाल के मार्फत संदिग्ध लोकसेवक मो0 हुसैन अंसारी, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग हाल अति0 आयुक्त जीएसटी के निवास स्थान पर भिजवायी जायेगी, जो सम्भव है कि उक्त रिश्वत राशि संदिग्ध श्री नीलेश अग्रवाल द्वारा दिनांक 27.02.2022 को प्रातः लोकसेवक श्री मो. हुसैन को अंसारी को सुपुर्द की जावेगी।

इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री केशर सिंह हैडकानि0 38 को निर्देश दिये कि वह श्री नीलेश अग्रवाल का पीछा करते हुये चले और समय-समय पर मुझे सूचित करें। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान एवं जाब्त के संदिग्ध आरोपी श्री मो0 हुसैन अंसारी के निवास स्थान के बाहर आस-पास छुपाव हासिल करते हुये संदिग्ध की निगरानी में मूकीम हुआ। श्री केशर सिंह द्वारा मन निरीक्षक पुलिस को दिनांक 27.02.2022 को समय करीब 10.30 ए.एम पर सूचना दी गई कि प्रकरण से सम्बन्धित संदिग्ध व्यक्ति नीलेश अग्रवाल, कार नं. आरजे 27 सीजी 7820 फोर्ड फ्रीस्टाईल से रवाना होकर, श्री एम.एच. अंसारी, डी.सी., वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा के निवास में एक हरे रंग की थैली हाथ में लिये प्रवेश कर गये है कुछ समय पश्चात् श्री नीलेश अग्रवाल, घर से बाहर आया और फोन पर किसी से बात करने लगा। उनके द्वारा वार्ता समाप्त

करते ही मन पुलिस निरीक्षक द्वारा हमराही जाप्ते, स्वतंत्र गवाहान एवं तकनीकी शाखा के कार्मिकों की इमदाद से श्री नीलेश अग्रवाल को रूकवाकर अपना एवं हमराहीयान का परिचय दिया तथा अपने आने का प्रयोजन बताकर श्री नीलेश अग्रवाल से पूरा नाम पता पूछा गया तो उक्त ने अपना नाम श्री नीलेश अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश अग्रवाल जाति अग्रवाल उम्र 27 साल निवासी मकान नम्बर 32/197, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के पास, पानेरियों की मांदड़ी, सेक्टर -06, पुलिस थाना हिरणमगरी, उदयपुर होना बताया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा संदिग्ध श्री नीलेश अग्रवाल को पुनः अपने आने का प्रयोजन बताकर जिस मकान में वह जाकर आया है उस मकान के सम्बंध में पूछने पर उसने बताया कि यह एम.एच. अंसारी जी का है जो भीलवाडा के सेलटेक्स अधिकारी है। श्री राजमल अग्रवाल मेरे ताउजी है उन्होंने मुझे चार लाख रुपये की राशि अंसारी जी को देने के लिये ताउजी द्वारा भिजवाई गई थी। जो मैंने अभी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी को इनके घर पर लाकर दी है। श्री एम.एच. अंसारी अभी घर पर ही है। श्री नीलेश अग्रवाल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री राजेन्द्र प्रसाद माचरा से लिवाई गई तो श्री नीलेश अग्रवाल के पास दो मोबाईल फोन तथा गाडी की चाबी होना पाई गई। तत्पश्चात संदिग्ध श्री नीलेश अग्रवाल के बताये अनुसार मन् निरीक्षक पुलिस संदिग्ध श्री एमएच अंसारी के मकान के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, जहां पर दरवाजे के बाहर श्री एमएच अंसारी के नाम की नेमप्लेट लगी हुई पाई, मकान के दरवाजे पर लगी हुई डॉरवेल को बजाने पर एक व्यक्ति बाहर आया जिसे देखकर संदिग्ध श्री नीलेश अग्रवाल ने बताया कि यह ही एमएच अंसारी है। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी पुत्र श्री अब्दुल हकीम अंसारी जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी मकान नम्बर 11, सेक्टर 12, मुशीद नगर, सवीना पुलिस थाना सवीना जिला उदयपुर हाल उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी) में पदस्थापित होना बताया। तत्पश्चात संदिग्ध अधिकारी को श्री नीलेश अग्रवाल के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि यह नीलेश अग्रवाल है मैं इनसे पूर्व से परिचित हूं, यह श्री राजमल अग्रवाल का भतीजा है, जो उदयपुर में रहता है। श्री राजमल अग्रवाल भीलवाडा में ट्रांसपोर्ट के व्यवसायी है। तत्पश्चात संदिग्ध अधिकारी श्री एमएच अंसारी को अभी-अभी श्री नीलेश अग्रवाल से रिश्वत राशि आदान-प्रदान के बारे में पूछने पर पहले तो संदिग्ध अधिकारी चुप हो गया तथा फिर तसल्ली देकर पूछने पर उसने बताया कि जो गलती थी वो हो गई है सर, अभी श्री नीलेश अग्रवाल ने मुझे 4,00,000/- रुपये की राशि लाकर दी है, जो मैंने इनसे प्राप्त कर मेरे मकान में रख ली है। श्री राजमल अग्रवाल ने यह राशि उदयपुर आने पर मुझसे लेने के लिये कही है। चूंकि कार्यवाही में संदिग्धान के मध्य हुई रिश्वत आदान-प्रदान की राशि संदिग्ध अधिकारी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी, उपायुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी) द्वारा अपने मकान में रखी गई है। उक्त रिश्वत राशि की बरामदगी हेतु संदिग्ध के मकान में प्रवेश करना आवश्यक होने तथा उक्त मकान की तलाशी हेतु नियमानुसार माननीय न्यायालय से वारंट प्राप्त करने में समय लगने एवं इस दरमियान रिश्वत राशि खुर्द-बुर्द होने की पूर्ण सम्भावना होने के कारण तुरन्त प्रभाव से संदिग्ध अधिकारी को उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष उक्त मकान की खाना तलाशी लिये जाने बाबत अवगत कराया गया तो संदिग्ध अधिकारी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपने मकान की तलाशी लेने हेतु सहमति दी, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी को स्वयं की तथा हमराहीयान की जामा तलाशी लेने हेतु कहा जाने पर श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी ने स्वेच्छा से तलाशी लेने से इंकार किया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान एवं संदिग्ध श्री नीलेश अग्रवाल के साथ संदिग्ध अधिकारी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी के उक्त मकान में प्रवेश किया।

तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी को अभी श्री नीलेश अग्रवाल से प्राप्त राशि के सम्बंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि उक्त राशि मैंने मेरे मकान के मास्टर बेडरूम में एलईडी टीवी के नीचे रखे है, जो मैं अभी चलकर आपको बताता हूं तत्पश्चात संदिग्ध अधिकारी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी अपने मास्टर बेडरूम में जाकर उसमें लगे एलईडी टीवी के नीचे के शोकेस (टीवी के नीचे लगे कांच के नीचे) में एक प्लास्टिक की हरे रंग की थैली में रखी हुई राशि की ओर इशारा कर बताया कि यह वह राशि जो श्री राजमल अग्रवाल के कहने पर श्री नीलेश अग्रवाल ने अभी मुझे लाकर दी है जो मैंने इनसे प्राप्त कर अभी यहां रखी है। यह कुल चार लाख रुपये है। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त राशि को गिनवाया गया तो उक्त राशि 500-500 रुपये के नोटों (भारतीय चलन मुद्रा के) की कुल आठ गड्डियों में कुल 800 नोट होकर कुल 4,00,000/- रुपये होना पाया गया। उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष तलाशी में मिली उक्त रिश्वत राशि 4,00,000/-रुपये को प्लास्टिक की हरे रंग की थैली सहित बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी लोकसेवक श्री मो0 हुसैन अंसारी के निवास स्थान मकान नम्बर 11, सेक्टर 12, मुशीद नगर, सवीना पुलिस थाना सवीना जिला उदयपुर की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई।

कार्यवाही के दौरान सम्बंधित आरोपी श्री मो0 हुसैन अंसारी के कब्जे से एक मोबाईल फोन एप्पल कम्पनी का आईफोन 7 मोबाईल बरंग काला मिला, जिसके आईएमईआई नम्बर 356641080689780 है तथा मोबाईल में 9461119111 नम्बर की एयरटेल कम्पनी की सीम लगी हुई

है। फोन में लॉक लगा हुआ है जिसके पासवर्ड 123789 है। इसी क्रम में आरोपी श्री नीलेश अग्रवाल के कब्जे से पाये गये दोनों मोबाईल जिनमें एक सेमसंग कम्पनी का गेलेक्सी एफ-62 मॉडल बरंग स्काई ब्लू जिसके आईएमईआई नम्बर 350641034006483, 351945214006489 है जिसमें मोबाईल नम्बर 9828635613 (जीयो) तथा दूसरा मोबाईल रेडमी कम्पनी का मॉडल रेडमी 8 है जिसके आईएमईआई नम्बर 868147040677239, 868147040677247 है तथा मोबाईल में एक सीम लगी हुई है जिसके नम्बर 9782100999 लगी हुई है। उक्त सीम जीयो कम्पनी की है। उक्त तीनों मोबाईल फोन प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित है और आरोपीगणों के मध्य संदिग्ध वाट्सअप वार्ता/कॉल हुये हैं, इस सम्बन्ध में श्री केशर सिंह हैडकानि0 38 द्वारा दोनों आरोपीगणों के फोन में प्रकरण से सम्बन्धित संरक्षित वाट्सअप चैट/कॉल के फोटोज लिये जाकर पीडीएफ तैयार किया जाकर प्रिन्ट लिया गया एवं शामिल फर्द किया गया। उक्त तीनों मोबाईल फोन प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित होकर अनुसंधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अतः उक्त तीनों मोबाईल फोन को बतौर वजह सबूत हस्तकायदा जप्त किया जाकर सील मोहर किया जाकर मार्का अंकित किया गया।

इसके उपरान्त श्री राजेश दुरेजा पुलिस उप अधीक्षक द्वारा पेश सूत्र सूचना में दिनांक 05.02.2022 को समय 13:42:16 पर आरोपी श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल के मोबाईल नम्बर 9829168017 से आरोपी श्री नीलेश अग्रवाल उर्फ गोनु के मोबाईल नम्बर 9828635613 के मध्य हुए वार्तालाप में श्री राजमल अग्रवाल द्वारा नीलेश अग्रवाल को समझाया जाता है कि एक लिफाफा भेजा है जिसमें एक कागज है और उसमें दो लाख अस्सी हजार एक है आर दो लाख पचास हजार एक है, तो उसमें से दो पचास तो तू ले आ यहां और दो अस्सी और कागज एक लिफाफे में पैक कर के वहां उदयपोल दिया भगवती जी को, तो नीलेश द्वारा ठीक है कहा जाता है। तत्पश्चात् राजू अग्रवाल द्वारा समझाया जाता है कि लिफाफे में जो कागज है ना, वो समेटकर एक गड़ड़ी के बीच लगा देना, इस पर नीलेश द्वारा पूछा जाता है कि वो अंसारी जी वाला अमाउंट ? तो राजू अग्रवाल द्वारा कहा जाता है कि हां वो दो पचास लिया, उनको देने तो तीन पचास है, मैं एक का अरेजमेंट कहीं और से करता हूँ, एक किराी और को देने पड गये या एक तेरे पास से दिया ना, मैं भेज दूंगा किसी के साथ, तो नीलेश द्वारा ठीक है कहा जाता है। इसी क्रम में दिनांक 20.02.2022 को समय 13:17:16 पर राजमल उर्फ राजू अग्रवाल के मोबाईल नं. 9829168017 से श्री नीलेश अग्रवाल के मोबाईल नं. 9828635613 के मध्य हुए वार्तालाप में राजू अग्रवाल द्वारा पेमेन्ट आने के बारे में पूछा जाता है तो नीलेश द्वारा आने की सूचना दी जाती है, जिस पर राजू अग्रवाल द्वारा कहा जाता है कि उस पेमेन्ट में से चार लाख तो डी.सी. साहब को दिया, इस पर नीलेश तत्काल जाने में असमर्थता जताते हुए राहुल को भेजने का पूछता है तो राजूअग्रवाल द्वारा अंसारी साहब के नम्बर 9461119111 बताये जाकर वाट्स अप कॉल करने के निर्देश दिये जाते हैं। उपरोक्त वार्ताओं में आरोपी श्री राजमल अग्रवाल द्वारा भीलवाडा के व्यापारियों से वाणिज्यिक कर नियमानुसार बिना जमा करवाये आने वाले सामान, वाहनों को अवैध संरक्षण प्रदान करने के लिये सम्बंधित व्यवसायियों से मासिक बंधी के रूप में एकत्रित रिश्वत राशि अपने भतीजे श्री नीलेश अग्रवाल के मार्फत आरोपी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी को दिलवाया जाने तथा आज दिनांक 27.02.2022 को उक्त रिश्वत राशि आरोपी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी एवं आरोपी श्री नीलेश अग्रवाल द्वारा आदान-प्रदान होकर उक्त रिश्वत राशि आरोपी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी के कब्जे से बरामद होना पाया गया है।

ब्यूरो मुख्यालय से प्राप्त सूत्र सूचना पर अब तक की कार्यवाही से अन्तावरोध पर लिये गये संदिग्ध अधिकारीगण/व्यक्ति श्री राजमल अग्रवाल के मोबाईल नम्बर 9829168017 एवं श्री नीलेश अग्रवाल उर्फ गोनु के मोबाईल नम्बर 9828635613 के मध्य दिनांक 05.02.2022, दिनांक 20.02.2022 को हुये वार्तालाप से प्रकट हुआ है कि श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल द्वारा भीलवाडा व अन्य स्थानों के व्यापारियों एवं वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारियों से अवैध रूप से मिलीभगत कर वाणिज्यिक कर नियमानुसार बिना जमा करवाये आने वाले सामान, वाहनों को अवैध संरक्षण प्रदान करने के लिये सम्बंधित व्यवसायियों से मासिक बंधी के रूप में स्वयं एवं अन्य से रिश्वत राशि एकत्रित कर वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा में पदस्थापित आरोपी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी पुत्र श्री अब्दुल हकीम अंसारी जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी मकान नम्बर 11, सेक्टर 12, मुर्शीद नगर, सवीना पुलिस थाना सवीना जिला उदयपुर हाल उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी) को अपने भतीजे श्री नीलेश अग्रवाल के मार्फत प्रदान किया जाना प्रमाणित होना पाया गया है।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी पुत्र श्री अब्दुल हकीम अंसारी जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी मकान नम्बर 11, सेक्टर 12, मुर्शीद नगर, सवीना पुलिस थाना सवीना जिला उदयपुर हाल उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (अतिरिक्त आयुक्त

जीएसटी) द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों तथा अन्य कर चोरी के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के आशय से उनके विरुद्ध कानूनन कार्यवाही नहीं करने तथा वाणिज्यिक कर चोरी के अवैध कृत्यों में संरक्षण प्रदान करने के लिये संदिग्ध व्यक्ति श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल तथा श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल से अवैध रूप से मिलीभगत कर उनके मार्फत मासिक बंधी के रूप में नियमित तौर पर रिश्वत राशि प्राप्त करने तथा इसी क्रम में दिनांक 27.02.2022 को 4,00,000/- रुपये आरोपी श्री नीलेश अग्रवाल के मार्फत प्राप्त करना पाया गया। आरोपी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी, उपायुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादसं के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त आरोपी को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया।

अन्तावरोध पर लिये गये मोबाईल नम्बरों पर संदिग्ध आरोपीगण की वार्ता सूनने से पाया गया कि आरोपी श्री नीलेश अग्रवाल उर्फ गोनू को आरोपी श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल द्वारा भीलवाड़ा के व्यवसायियों/सम्बंधितों के नियमानुसार वाणिज्यिक कर जमा करवाये बिना आने वाले सामान पर कोई कार्यवाही नहीं कराने तथा वाहनों को अवैध संरक्षण प्रदान कराने की एवज में सम्बंधित व्यवसायियों से आरोपी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी के लिये मासिक बंधी के तौर पर एकत्रित रिश्वत राशि की जानकारी होने के बावजूद भी इस आपराधिक कार्य में सम्बंधित आरोपी लोकसेवक तक उक्त रिश्वत राशि को आरोपी श्री नीलेश अग्रवाल द्वारा पहुंचाया जाना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री नीलेश अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश अग्रवाल जाति अग्रवाल उम्र 27 साल निवासी मकान नम्बर 32/197, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के पास, पानेरियों की मांदड़ी, सेक्टर -06, पुलिस थाना हिरणमगरी, उदयपुर द्वारा आरोपी श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल से अवैध रूप से मिलीभगत करना तथा भीलवाड़ा के व्यवसायियों/सम्बंधितों के नियमानुसार वाणिज्यिक कर जमा करवाये बिना आने वाले सामान पर कोई कार्यवाही नहीं करने तथा वाहनों को अवैध संरक्षण प्रदान करने की एवज में सम्बंधित व्यवसायियों से आरोपी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी के लिये आरोपी श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल द्वारा एकत्रित रिश्वत राशि का बोध होते हुये उक्त रिश्वत राशि को आरोपी श्री राजमल अग्रवाल से प्राप्त कर आज दिनांक 27.02.2022 को आरोपी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी को प्रदान करना पाये जाने से आरोपी श्री नीलेश अग्रवाल उर्फ गोनू का उक्त कृत्य धारा 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादसं का अपराध कारित होना पाया जाने से आरोपी श्री नीलेश अग्रवाल को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया।

दौराने कार्यवाही श्री गोविन्द नारायण हैडकानि 117 भ्रनिब्यूरो, राजसमन्द द्वारा संदिग्ध श्री राजमल अग्रवाल को लाकर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राजेन्द्र कुमार माचरा द्वारा जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल के पास दो मोबाईल फोन बरामद हुये, जिसमें एक मोबाईल फोन वन प्लस कम्पनी, जिसका मॉडल नम्बर 9 आरटी, जिसके आईएमईआई नम्बर 869437050403090, 869437050403082 है तथा जिसमें 8949510798, 8696368017 मोबाईल नम्बरों की सीमें लगी हुई है। उक्त सीम जीयो कम्पनी की है। दूसरा मोबाईल सेमसंग गेलेक्सी ए-22 बरंग काला, जिसके आईएमईआई नम्बर 356890800934170, 359306490934179 है तथा फोन में 9829168017 नम्बरों की सीम लगी हुई है। उक्त दोनों मोबाईल फोन प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित है और आरोपीगणों के मध्य संदिग्ध वाट्सअप वार्ता/कॉल हुये है, इस सम्बन्ध में श्री केशर सिंह हैडकानि 038 द्वारा दोनों आरोपीगणों के फोन में प्रकरण से सम्बन्धित संरक्षित वाट्सअप चैट/कॉल के फोटोज लिये जाकर पीडीएफ तैयार किया जाकर प्रिन्ट लिया गया एवं शामिल फर्द किया गया। उक्त दोनों मोबाईल फोन प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित होकर अनुसंधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अतः उक्त दोनों मोबाईल फोन को बतौर वजह सबूत हस्तकायदा जप्त किया जाकर सील मोहर किया जाकर मार्का अंकित किया गया।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल पुत्र स्व० श्री मदनलाल अग्रवाल जाति अग्रवाल उम्र 58 साल निवासी बी-14, कमला विहार, पुलिस थाना प्रतापनगर, भीलवाड़ा हाल संचालक मदन लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट नगर भीलवाड़ा द्वारा अन्य आरोपीगण लोकसेवक/अन्य से अवैध रूप से मिलीभगत कर ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों तथा अन्य कर चोरी के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के आशय से उनके विरुद्ध कानूनन कार्यवाही नहीं कराने तथा वाणिज्यिक कर चोरी के अवैध कृत्यों में संरक्षण प्रदान कराने के लिये सम्बंधितों से आरोपीगण लोकसेवकों के लिये मासिक बंधी के तौर पर रिश्वत राशि एकत्रित कर आदान-प्रदान करना, इस क्रम में एकत्रित रिश्वत राशि दिनांक 27.02.2022 को आरोपी श्री नीलेश अग्रवाल के मार्फत आरोपी

लोकसेवक श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी, उपायुक्त वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा को 4,00,000/- रुपये की रिश्वत राशि प्रदान कराये जाने का उक्त कृत्य धारा 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादसं के तहत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी राजमल उर्फ राजू अग्रवाल को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। रिश्वती राशि बरामदगी स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया गया।

तत्पश्चात श्रीमती दीपिका राठौड, पुलिस निरीक्षक, भ्रनिब्यूरो, भीलवाडा द्वारा प्रकरण में संदिग्ध श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल को डिटेन कर मन् निरीक्षक पुलिस को प्रस्तुत करने पर संदिग्ध श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल से अन्तावरोध पर रिकॉर्ड वार्ताओं के सम्बंध में पूछताछ की गई। आरोपी श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल के कब्जे में मिला मोबाईल फोन प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित होकर अनुसंधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अतः उक्त मोबाईल फोन को बतौर वजह सबूत हस्बकायदा जप्त किया जाकर सील मोहर किया जाकर मार्का अंकित किया गया। प्रकरण में अन्तावरोध पर आरोपीगणों के मध्य हुई वार्ताओं को सुनने तथा अब तक की गई कार्यवाही से श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सोहनलाल जाति महाजन उम्र 55 साल निवासी प्लाट नम्बर 3ए-7, आरसी व्यास कॉलोनी, पुलिस थाना सुभाष नगर जिला भीलवाडा द्वारा ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों तथा अन्य कर चोरी के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के आशय से उनके विरुद्ध कानूनन कार्यवाही नहीं कराने एवं वाणिज्यिक कर चोरी के अवैध कृत्य को संरक्षण प्रदान कराने के लिये आरोपीगण लोकसेवकों/अन्य से मिलीभगत कर मासिक बंधी के रूप में नियमित तौर पर रिश्वत राशि का आदान-प्रदान करने तथा स्वयं द्वारा भी टेक्स चोरी करने की एवज में आरोपीगण लोकसेवकों को रिश्वत देने हेतु सहमत होकर अन्य आरोपीगण के माध्यम से रिश्वत दिया जाना प्रमाणित पाया जाने का उक्त कृत्य धारा 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादसं के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त आरोपी को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया।


इसी क्रम में श्री अनुप सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, राजसमन्द द्वारा संदिग्ध अधिकारी श्री दिनेश कुमार टेलर के रिहायशी मकान की खाना तलाशी कर फर्द खाना तलाशी मय संदिग्ध अधिकारी श्री दिनेश कुमार टेलर के प्रस्तुत की गई। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा फर्द खाना तलाशी का अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। संदिग्ध अधिकारी से प्रकरण के सम्बंध में पूछताछ की गई। फर्द खाना तलाशी के साथ प्रस्तुत किये गये आरोपी श्री दिनेश कुमार टेलर के दोनों मोबाईल फोन प्रकरण की विषयवस्तु से सम्बन्धित होकर अनुसंधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने से बतौर वजह सबूत हस्बकायदा पृथक से जरिये फर्द जप्त किया जाकर सील मोहर किया जाकर मार्का अंकित किया गया। आरोपी श्री दिनेश कुमार टेलर से अब तक किये गये अनुसंधान तथा अन्तावरोध पर रिकॉर्ड वार्ताओं के विश्लेषण से आरोपी श्री दिनेश कुमार टेलर पुत्र श्री राधेश्याम टेलर जाति टेलर उम्र 52 साल निवासी मकान नम्बर 119ए, सी-क्लास प्रताप नगर, उदयपुर हाल वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (उपायुक्त जीएसटी) द्वारा लोकसेवक होते हुये ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों तथा अन्य कर चोरी के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के आशय से उनके विरुद्ध कानूनन कार्यवाही नहीं करने तथा वाणिज्यिक कर चोरी के अवैध कृत्य में लिप्त सम्बंधित को संरक्षण प्रदान करने की एवज में अन्य आरोपीगण से मिलीभगत कर मासिक बंधी के रूप में नियमित तौर पर रिश्वत राशि प्राप्त करने के लिये सहमत होकर मांग करना प्रमाणित पाया जाने से उक्त आरोपी द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120 बी भादसं. में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित जाने पर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया।

उपरोक्त एवं दीगर अन्तावरोध वार्ताओं तथा सूत्र सूचना के सत्यापन से वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा में पदस्थापित अन्य अधिकारीगण/लोकसेवक श्री सुरेन्द्र सिंह चावडा, वाणिज्यिक कर अधिकारी, श्री सुनील काबरा, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा श्री कानाराम, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं श्री राकेश खोईवाल सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा द्वारा भी आरोपीगण श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल तथा श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल से वार्ताएं होना पाया गया है उक्त वार्ताओं के विश्लेषण से उपरोक्त लोकसेवकों की भी प्रकरण में भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। प्रकरण में उपरोक्त लोकसेवकों से उक्त वार्ताओं के सम्बंध में विस्तृत अनुसंधान से ही उनकी भूमिका स्पष्ट हो सकती है।

अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी पुत्र श्री अब्दुल हकीम अंसारी जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी मकान नम्बर 11, सेक्टर 12, मुर्शीद नगर, सवीना पुलिस


थाना सवीना जिला उदयपुर हाल उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी) एवं श्री दिनेश कुमार टेलर, वाणिज्यिक कर अधिकारी, भीलवाडा (उपायुक्त जीएसटी) द्वारा आरोपी श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल एवं आरोपी श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों तथा अन्य कर चोरी के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के आशय से उनके विरुद्ध कानूनन कार्यवाही नहीं करने तथा वाणिज्यिक कर चोरी के अवैध कृत्य को संरक्षण प्रदान करने के लिये उनसे मिलीभगत कर मासिक बंधी के रूप में नियमित तौर पर रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया गया। इसी क्रम में आरोपी श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल द्वारा विभिन्न ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों/कर चोरी के लाभार्थियों से एकत्रित 4,00,000/- रुपये की रिश्वत राशि आरोपी लोकसेवक श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी को प्रदान करने के लिये आरोपी श्री नीलेश अग्रवाल को प्रदान करना तथा आरोपी श्री नीलेश अग्रवाल उर्फ गोनू द्वारा उपरोक्त आरोपीगण के भ्रष्ट कृत्यों में संलिप्त होते हुये पूर्व की अन्तावरोध वार्ताओं के क्रम में आरोपी राजमल अग्रवाल एवं श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल द्वारा विभिन्न व्यवसायियों से एकत्रित रिश्वत राशि प्राप्त कर आज दिनांक 27.02.2022 को उक्त रिश्वत राशि 4,00,000/- रुपये आरोपी लोकसेवक श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी को उसके निवास पर जाकर प्रदान करना पाया गया। इस प्रकार आरोपीगण श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी पुत्र श्री अब्दुल हकीम अंसारी जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी मकान नम्बर 11, सेक्टर 12, मुर्शीद नगर, सवीना पुलिस थाना सवीना जिला उदयपुर हाल उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी), आरोपी श्री दिनेश कुमार टेलर पुत्र श्री राधेश्याम टेलर जाति टेलर उम्र 52 साल निवासी मकान नम्बर 119ए, सी-क्लास प्रताप नगर, उदयपुर हाल वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा, श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल पुत्र स्व० श्री मदनलाल अग्रवाल जाति अग्रवाल उम्र 58 साल निवासी बी-14, कमला विहार, पुलिस थाना प्रतापनगर, भीलवाडा हाल संचालक मदन लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट नगर भीलवाडा, आरोपी श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सोहनलाल जाति महाजन उम्र 55 साल निवासी प्लॉट नम्बर 3ए-7, आरसी व्यास कॉलोनी, पुलिस थाना सुभाष नगर जिला भीलवाडा एवं श्री नीलेश अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश अग्रवाल जाति अग्रवाल उम्र 27 साल निवासी मकान नम्बर 32/197, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के पास, पानेरियों की मांदड़ी, सेक्टर -06, पुलिस थाना हिरणमगरी, उदयपुर का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादं.सं. में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपीगण 1. श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी पुत्र श्री अब्दुल हकीम अंसारी जाति मुसलमान उम्र 50 साल निवासी मकान नम्बर 11, सेक्टर 12, मुर्शीद नगर, सवीना पुलिस थाना सवीना जिला उदयपुर हाल उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी) 2. आरोपी श्री दिनेश कुमार टेलर पुत्र श्री राधेश्याम टेलर जाति टेलर उम्र 52 साल निवासी मकान नम्बर 119ए, सी-क्लास प्रताप नगर, उदयपुर हाल वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (उपायुक्त जीएसटी) 3. श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल पुत्र स्व० श्री मदनलाल अग्रवाल जाति अग्रवाल उम्र 58 साल निवासी बी-14, कमला विहार, पुलिस थाना प्रतापनगर, भीलवाडा हाल संचालक मदन लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट नगर भीलवाडा 4. श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सोहनलाल जाति महाजन उम्र 55 साल निवासी प्लॉट नम्बर 3ए-7, आरसी व्यास कॉलोनी, पुलिस थाना सुभाष नगर जिला भीलवाडा 5. श्री नीलेश अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश अग्रवाल जाति अग्रवाल उम्र 27 साल निवासी मकान नम्बर 32/197, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के पास, पानेरियों की मांदड़ी, सेक्टर -06, पुलिस थाना हिरणमगरी, उदयपुर 6. वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थापित अधिकारीगण/कर्मचारीगण एवं अन्य के विरुद्ध जुर्म धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120बी भा०दं०सं० बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।


 (रघुवीर शरण)
 निरीक्षक पुलिस,
 विशेष अनुसंधान ईकाई,
 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
 जयपुर।

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंस में आरोपीगण 1.श्री मोहम्मद हुसैन अंसारी, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा(अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी) 2.श्री दिनेश कुमार टेलर, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (उपायुक्त जीएसटी) 3.श्री राजमल उर्फ राजू अग्रवाल पुत्र स्व.श्री मदनलाल अग्रवाल, निवासी बी-14, कमला विहार, पुलिस थाना प्रतापनगर भीलवाड़ा हाल संचालक मदन लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट नगर भीलवाड़ा, 4.श्री लक्ष्मण कुमार अग्रवाल पुत्र सोहनलाल निवासी प्लॉट नं.3 ए-7, आरसी व्यास कॉलोनी, पुलिस थाना सुभाष नगर जिला भीलवाड़ा, 5.श्री नीलेश अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश अग्रवाल निवासी मकान नम्बर 32/197, राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के पास, पानेरियों की मांदड़ी, सेक्टर-06, पुलिस थाना हिरणमगरी, उदयपुर, 6.वाणिज्यिक कर विभाग में पदस्थापित अन्य अधिकारीगण /कर्मचारीगण एवं अन्य के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 64/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


28.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 586-90 दिनांक 28.2.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।


28.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर